

महोदय, टेलीकम्युनिकेशन देश के विकास का एक साधन है लेकिन केवल टेलीकम्युनिकेशन से ही देश का विकास नहीं होगा। इस देश का विकास दूसरी समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। जब आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सब क्षेत्रों में सुधार होगा तो टेलीकम्युनिकेशन में जो सुधार होगा, वह सोने में सुहागा हो जाएगा। सब चीजों को बढ़ाने के साथ-साथ इसको भी बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): एक दूसरे बिल पर भी हमें विचार करना है, इसलिए आप समाप्त कीजिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: महोदय, सब लोगों ने इस बिल के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं, मैंने पहले ही उनके प्रति आभार व्यक्त कर दिया है। हमारे माननीय सदस्यों ने इस प्राधिकरण की भावना का आदर किया है, इसका समर्थन किया है। माननीय सतीश अग्रवाल जी बहुत ही विद्वान सदस्य हैं, वे यहां उपस्थित नहीं हैं, उनका हम खास तौर से धन्यवाद करते हैं। इसमें जो भी कमियां हमें महसूस होंगी, हम रूल्स और रेगुलेशंस में उनको समाहित करने की कोशिश करेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): I shall now put the motion moved by Shri Beni Prasad Varma to vote.

The question is:

"That the Bill to provide for the establishment of the Telecom Regulatory Authority of India to regulate the telecommunication services, and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 40 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BENI PRASAD VARMA: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted

The Aquaculture Authority Bill, 1997

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Now we take up the Aquaculture Authority Bill, 1997. Shri Chaturanan Mishra to move for leave to introduce the Aquaculture Authority Bill, 1997.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): Sir, I beg to move for leave to introduce the Bill to provide for the establishment of an Aquaculture Authority for regulating the activities connected with aquaculture in the coastal areas and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Now, the Bill is being taken up for consideration. Shri Chaturanan Mishra to move a motion for consideration of the Aquaculture Authority Bill, 1997.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the establishment of an Aquaculture Authority for regulating the activities connected with aquaculture in the coastal areas and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बिल लाने की एक खास जरूरत इसलिए पड़ गई कि 11 दिसम्बर, 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह आदेश दिया कि समुद्र तट पर हाई टैशन लाईन के 500 मीटर के भीतर जितने भी गैर परम्परागत और उन्नत परम्परागत फार्म को छोड़ करके जितने फार्म हैं, एक्वाकल्चर के लिए उन्हें 31 मार्च, 97 तक तोड़ दिया जाए और

सम्बन्धित जिलाधिकारी और पुलिस सुपरिटेण्डेंट को इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया कि वह पूरा तोड़ करके हटाकर 15 अप्रैल, तक रिपोर्ट दे। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करने का था। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक अपने देश के लगभग 3.8 लाख मजदूर, किसान एवं दूसरे लोग जो इससे संबंधित थे उनके ऊपर में भारी कुठाराघात हो रहा था, वह नौकरी से हटाए जा रहे थे। हमारे कृषि मंत्रालय ने इसके खिलाफ एक अपील पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तारीख जो तय किया वह 31 मार्च के बाद थी। हम चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले विचार करे ताकि इतने बड़े पैमाने पर इन फार्म को तोड़ने की जरूरत न पड़े या नियमित ढंग से हम उसको कैसे चलाएं इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट से राय करके आगे काम बढ़ाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख तय कि वह 31 मार्च के बाद की है। इसलिए हमारे जो जिलाधिकारी थे या पुलिस विभाग के लोग थे उन लोगों ने कहीं-कहीं फार्म बैंगरह तोड़ना भी शुरू कर दिया। एक ऐसी स्थिति आ गई जो सिविल कम्मीशन पैदा कर सकती है। आपसे मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हाल के वर्षों में भारत ने एक्वाकल्चर में एक्सपोर्ट करने में अपना एक स्थान बना लिया है। जो हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक 1995-96 के अंदर 16 हजार 65 करोड़ की हमारी एक्सपोर्ट हुई थी जिसमें एक भारी हिस्सा है जो झूठ तरीके से एक्वाकल्चर पैदा करने के कारण दुनिया में एक्वाकल्चर एक्सपोर्ट करने में स्थान भारत पा गया है। अगर इस तरह का जो अचानक यह आदेश आया उससे उसमें भी विघटन पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक एक्वाकल्चर खेती देश में चलाएगी। भारत सरकार ने जो एक दूसरा कानून पर्यावरण का है उसके मातहत एक अथॉरिटी कायम कर दी और एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को इसकी अध्यक्षता के लिए कहा गया। यह देखा गया कि एक्वाकल्चर का जो काम है, वह मुख्यतः कृषि मंत्रालय की तरफ से होता है। तो इस तरह से इसमें एक विरोधाभास पैदा हो जाता कि अथॉरिटी एक विभाग के अंदर होती और अनुपालन का काम दूसरे विभाग के अंदर होता। इसलिए कृषि विभाग या भारत सरकार ने यह सोचा कि कृषि विभाग की तरफ से ही इसको किया जाए ताकि अथॉरिटी भी रहे और इसका अनुपालन भी उन्हीं को करना पड़े और इन दोनों में सामन्जस्य स्थापित किया जा सके। इसी दृष्टिकोण से इस बिल को यहां लाने की जरूरत पड़ी ताकि उन लोगों को तात्कालिक विभाजन हम कर सकें। इस बिल के पीछे सुप्रीम कोर्ट

के आदेश की अवमानना का कोई प्रश्न ही नहीं है, उसकी अवहेलना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को रखने में स्वयं गणतंत्र की प्रतिष्ठा को कायम रखना है। इसलिए यह प्रश्न नहीं है कि हम उसकी किसी बात की अवमानना करें। सच्चाई यह है कि जैसा आप इस बिल के अंदर देखेंगे कि जो अथॉरिटी कायम की जा रही है, वह अथॉरिटी कायम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था और उन्हीं के आदेशानुसार हम इसको कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि पहले उनके आदेश को मानकर जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ऐक्ट है, उसके मातहत किया था और अब इस अथॉरिटी के मातहत हम इसको कर रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि इसकी अध्यक्षता भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ही कर रहे हैं, ऐसा भी हम ज्यूडीशरी को प्रतिष्ठा देने के लिहाज से और उसकी कद्र करते हुए यहां मान रहे हैं। एक और विषय है कि चिल्का झील जो उड़ीसा में है और पुलीकाट जो तमिलनाडु में है, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, उसको हम हूबहू रखना चाहते हैं ताकि वहां के वातावरण को किसी तरह हम दूषित न करें। सच यह है कि कृषि मंत्रालय ने जो इसके पहले पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गाइड लाइन्स अगस्त 1995 में बनायी थीं, वह बहुत से मायनों में बहुत अच्छी थीं और उनको मान लेने के बाद पर्यावरण की काफी सुरक्षा की जा सकी है। जो अथॉरिटी इसमें कायम हो रही है, उधर हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे, सैक्शन 10 की तरफ आपका ध्यान चाहेंगे—पॉवर्स एवं फंक्शंस ऑफ़ दी अथॉरिटी। उसका 1-बी में है।

to inspect aquaculture farms with a view to ascertaining their environmental impact caused by aquaculture.

इसलिए किसी को यह शक नहीं होना चाहिए कि एक्वाकल्चर के बारे में किसी तरह की नरमी हम बरतना चाहते हैं। पर्यावरण को हम सर्वोपरि स्थान देना चाहते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना चाहते हैं। लेकिन यह जरूर है कि पर्यावरण तो मानव जाति की रक्षा के लिए ही होगा इसलिए कुछ ऐसा नहीं किया जाए कि मानव जाति पर ही चोट पहुंचने लगे। इसीलिए काफी लोग इससे अफ़ेड हो रहे हैं। दूसरे भी अधिकार जो पॉवर्स एंड फंक्शंस ऑफ़ टी अथॉरिटी में दिये गये हैं उससे ननको

बहुत ज्यादा अधिकार मिला है ताकि पर्यावरण के संबंध में

to prescribe regulations for the construction and operation of aquaculture farms within the coastal areas;

यह उनके ही अधिकार में दिया गया है।

to grant licences to aquaculture farms; यह अधिकार में दिया गया है कि जहां वह उचित समझें, वह दें।

to order removal or demolition of any aquaculture farms which is causing pollution after hearing the occupier of the farm;

हमने यह भी अधिकार उनको दे दिया है कि अगर वह पर्यावरण पर आघात करता है तो उसको डिमालिश कर सकते हैं। और आखिर में

perform such other functions as may be prescribed.

जैसा भी उचित समझें। इसलिए हमने उनको पर्यावरण के संबंध में पूरे अधिकार दे दिये हैं कि इसको कर सकें। यह भी प्रश्न उठा था कि ऐसे काम करने के लिए कोई समय अगर निर्धारित होता तो अच्छा था। इसको भी हमने ख्याल में रखा है और मैं आपका ध्यान इसकी तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा।

4.00 P.M.

Section 12(2) says:—

"Notwithstanding anything contained in subsection (1), a person engaged in aquaculture farming immediately before the appointed day may continue to carry on such activity without such a licence for a period of six months from that day and if he makes an application for such licence under this sub-section within the said period of six months, till the communication to him of the order of the Authority disposing of such application."

[The Deputy Chairman in the Chair.]

इसलिए हमने तय कर दिया है कि 6 महीने के

अंदर इन सारी चीजों की देखभाल करके ऑथारिटी जैसा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए करे, उसको उस तरह से किया जाए।

महोदया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही मानकर हमने इसके लिए जो एच० टी० एल०, हाई टाइड लेवल, है, उसके 200 मीटर के अंदर, आगे से कोई भी लाइसेंस न देने का भी प्रावधान कर दिया है। हमारा कहना का मतलब यह है कि किसी भी अर्थ में हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं कर रहे हैं, अवमानना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हां, यह प्रश्न जरूर उठेगा कि आप यह विधेयक क्यों ला रहे हैं, क्या बात है। जैसा मैंने पहले कहा था कि 3.8 लाख पपुलेशन एडवर्सली इससे एफेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट ने निरी से, जो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था पर्यावरण के बारे में है, उससे जांच कराई थी। उसने 23 सौ फर्मी में से, मात्र 35 फर्मी की जांच की और उस जांच के आधार पर उसने डिमोलिशन करने का आदेश दे दिया यह नेचुरल जस्टिस नहीं है। हर एक की बात सुनी जानी चाहिए। अगर वह पर्यावरण पर चोट करता है तो आप उसको सजा दीजिए लेकिन बिना सुनवाई के कर देना और इतने बड़े पैमाने पर कर देना, जिससे सिविल कमोशन पैदा हो जाए, यह ठीक नहीं है। इसलिए उनकी रक्षा के लिए हमको यह काम करना पड़ा। पार्लियामेंट का यह सत्र अब स्थगित होने वाला है। आज और कल, दो दिन का समय हमारे पास था। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई की तारीख 31 मार्च के बाद रख दी और 31 मार्च के भीतर यह तोड़-फोड़ कर दिया जाता तो उनकी रक्षा के लिए हमारे पास कोई दूसरा हथियार नहीं था। इसलिए मैं सदन के पास आया कि सदन इसको पारित कर दे ताकि हम उनकी रक्षा कर सकें। इसलिए यह बिल लाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी दलों के लोग उनकी रक्षा करने में सहयोग करेंगे।

उपसभापति: मूव कर दीजिए, आपका भाषण बहुत अच्छा था।

श्री चतुरानन मिश्र: वह तो कर दिया था।

The question was proposed.

उपसभापति: आई थैंक आल दि लीडर्स आफ वेरियस पोलिटिकल पार्टियां जो हम लोगों ने आज ही आज मैं यह बिल इंट्रोड्यूस किया और आज ही आज मैं इसकी पास करने के लिए, इसकी अजेंसी की

वजह से, तैयार हो गए हैं। आपको अब मेरी एक और मदद करनी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ सहयोग करेंगे।

मुलायम सिंह यादव जी ने, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, एक आवश्वासन इस हाउस में दिया था कि वे चायना के बारे में स्टेटमेंट देंगे। इस बारे में क्वेश्चन था और उन्होंने कहा था कि हमारी बातचीत चल रही है और मैं हाउस में आकर बोलूंगा। मगर हाउस उनको समय ही नहीं दे पायी। वह कल-परसों से कह रहे हैं कि मुझे स्टेटमेंट करना है पर हम उनको समय नहीं दे पाए। वे यहाँ हैं और उनको आज कहीं जाना है। मैंने उनसे कहा कि मैं हाउस की परमीशन ले लूंगा कि वे अपना स्टेटमेंट यहाँ हाउस के पटल पर रख दें। आप लोग उसको पढ़ लें और कल हम लोग उस पर क्लेरीफिकेशन पूछ लेंगे।

इसी तरह से हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी का स्टेटमेंट भी है। वह भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और हम नहीं चाहेंगे कि उसमें छिटे हो। वे खाली आज उसको रख दें, क्लेरीफिकेशन हम लोग कल समय निकाल कर कर लेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र: इन तीनों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है?

उपसभापति: हमारे लिए तो सब इम्पोर्टेंट है, पूरा हाउस इम्पोर्टेंट है।

श्री चतुरानन मिश्र: इनको एक एक करके कर दीजिए।

उपसभापति: आप स्टेटमेंट पढ़िए नहीं, खाली सभा पटल पर रख दें तो जल्दी हो जाएगा।

STATEMENTS BY MINISTER

Recent Incursion into Indian Territory in Himachal Pradesh region, by the Chinese army and the implications thereof

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): माननीय उपसभापति महोदया, मैं चीनी सेना द्वारा हिमाचल प्रदेश के भारतीय सीमा क्षेत्र में हाल की घुसपैठ के संबंध में अपना वक्तव्य सदन के सभा पटल पर रखता हूँ।

Release of persons still under detention under the erstwhile Terrorist and Disruptive Activities Act 1987, which lapsed on 23rd May, 1995

उपसभापति: शुक्रिया। हिन्दी और अंग्रेजी की दोनों कاپियाँ बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिये ताकि मੈम्बर रात को पढ़ कर कल आ सकें।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): Madam, as per your direction, I beg to lay on the Table of the House a statement on issues raised by hon. Members regarding release of persons who are still under detention under the erstwhile Terrorist and Disruptive Activities Act of 1987 which lapsed on the 23rd May, 1995.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will it be effective retrospectively or just from today? So, copies of this statement should also be distributed in both languages, Hindi and English, so that Members can read it—copies of both, the statement of the Defence Minister and the Home Minister. Now, the discussion on the Aquaculture Authority Bill, 1997 is open for discussion.

THE AQUACULTURE AUTHORITY BILL, 1997—Contd.

SHRI S.B. CHAVAN (Maharashtra): Madam, have we waived all the rules?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Today, we have waived all the rules in view of the plea which Chaturananji made and in view of the people who are going to suffer due to this. The House is being very indulgent to do this and I thank on behalf of everybody. I think, if we have so many speakers, we won't be able to finish it in one hour. So, I will have to cut down names of speakers. Dr. Gopalrao Patil.

आज तो आप भी बोल रहे हैं जी० जे० पी० की तरफ से।

डा० गोपालराव विठ्ठलराव पाटिल (महाराष्ट्र): कृपसे जी बोलेंगे। समय रहा तो मैं भी तीन मिनट बोलूंगा।

उपसभापति: नहीं नहीं आप नहीं बोलिये क्योंकि हम लोगों को एक घंटे में खल करना है तो कैसे होगा। कृपसे जी प्लीज आप बोलिये।

Mr. Vayalar Ravi, you are also speaking on this.

SHRI VAYALAR RAVI: Yes, Madam.

PROF. RAM KAPSE (Maharashtra): Madam Deputy-Chairperson, today, hon. Chaturanan Mishraji introduced a Bill,